

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0:-6(7)राज-6/95/ 19

जयपुर, दिनांक 23/8/13

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 (ख)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (प्रशिक्षु) सुश्री अनुपमा जोरवाल जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा संख्या प03/2(2)कार्मिक/क-1/2011 दिनांक 26.1.12 के द्वारा अलवर जिले में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया जाता है को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३५
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री।
2. संभागीय आयुक्त, अलवर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. जिला कलेक्टर, अलवर।
6. संबंधित सहायक कलेक्टर।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को अधिसूचना का दिनांक 23/8/13 राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. उप निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर।
10. उप शासन सचिव, विधि संहिताकरण विभाग।
11. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव